

सेवा में,

सचिव,

दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण

देहरादून।

महोदय,

मै/हम विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत संलग्न शमन मानचित्र एवं विवरण पत्र के अनुसार शासनादेश संख्या 41/V-2-2017-105(आ0)/2013 टी0सी0 दिनांक 15.01.2019 में उल्लिखित शर्तों के अधीन अपने निर्माण को स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत करता हूँ /करती हूँ /करते है। अपेक्षित विवरण निम्न रूप से उल्लिखित है :-

1. आवेदन का दिनांक :
2. आवेदक का नाम :
3. पिता/पति का नाम :
4. पूरा पता :
5. निर्माण स्थल का विवरण :
6. स्वीकृत मानचित्र संख्या व दिनांक :
7. संस्थित वाद संख्या
8. शमन मानचित्र (चार प्रतियां) :
9. शमन के सम्बन्ध में वास्तुविद/पंजीकृत ड्राफ्टसमैन एवं निर्माणकर्ता का संयुक्त शपथ-पत्र
10. स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख (विक्रय-पत्र व दाखिल-खरिज/ खाता-खतौनी)
11. अन्य दस्तावेज यदि कोई हो :
(बिजली/पानी के बिल आदि)
12. भू-उपयोग प्रमाण पत्र :
13. 7.50मी0 से अधिक ऊंचे भवनों हेतु पंजीकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर का प्रमाण पत्र जिसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियर व वास्तुविद/प्राधिकरण में ड्राफ्टसमैन एवं आवेदक के संयुक्त हस्ताक्षर सहित।
14. शमन शुल्क जमा किये जाने के विकल्प :

आवेदक के हस्ताक्षर

शपथपत्र

समक्ष- सचिव, दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण देहरादून।

शपथपत्र ओर से श्री/श्रीमती

-शपथकर्ता-

हम उपरोक्त शपथकर्तागण शपथपूर्वक निम्न बयान करते हैं:-

- 1- यह कि शपथकर्तागण सम्पत्ति अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर..... क्षेत्रफल.....वर्गमीटर स्थित मौजा..... परगना परवादून/पछवादून देहरादून के मालिक स्वामी है। जिस पर कि शपथकर्तागण ने एकल आवासीय भवन का निर्माण किया है।
- 2- यह कि उक्त भूमि/सम्पत्ति के शपथकर्तागण स्वामी है तथा उक्तभूमि नगर/ग्रामीण भूमि सीमारोपण अधिनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त भूमि घोषित नहीं की गयी है और न ही न्यायालय में उपरोक्त से सम्बन्धित कोई वाद लम्बित है।
- 3- यह कि प्रश्नगत भूखण्ड पर शपथकर्तागण का निर्विवादित स्वामित्व है। स्वामित्व के विषय पर भविष्य में कोई विवाद होने पर उसका दायित्व स्वयं शपथकर्ता पर होगा। इसमें किसी भी सरकारी/ अर्द्धसरकारी विभाग की भूमि/ नाला/ खाला इत्यादि की भूमि सम्मिलित नहीं है तथा किसी भी सरकारी सम्पत्ति पर अतिक्रमण नहीं है।
- 4- यह कि शपथकर्तागण ने One time settlement स्वैच्छिक शमन योजना जैसी कि शासनादेश संख्या 41/V-2-2017-105(आ0)/2013 टी0सी0 दिनांक 15.01.2019 में वर्णित है का विधिवत अध्ययन कर लिया गया है शपथकर्ता One time settlement स्वैच्छिक शमन योजना के नियमों से भली भांति अवगत होते हुये उक्त योजना के अन्तर्गत शमन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा है तथा इस योजना में उद्धरित उपविधि के अनुपालन हेतु शपथकर्तागण प्रतिबद्ध रहेगा।
- 5- शपथकर्तागण द्वारा विकास प्राधिकरण में अपनी सम्पत्ति अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर..... वर्गमीटर.....स्थित.....जिला देहरादून में शमन मानचित्र जमा किया है जिसमें अशमनीय भाग पृथक से दर्शाया गया है जिसका क्षेत्रफल बैसमैन्ट पर..... वर्गमीटर, भूतल पर..... वर्गमीटर तथा अन्य तलों को मिलाकर कुल.....वर्गमीटर है।

6- यह कि शपथकर्तागण का भवन खुले क्षेत्र में अवैध प्लार्टिंग में नहीं है, भवन के इर्द-गिर्द लगभग..... प्रतिशत भवन विद्यमान है, तथा नदी से 10मीटर से अधिक दूरी पर है तथा नाले/खाले से 5मी0 से अधिक दूरी पर है।

7- यह कि निर्मित /प्रस्तावित निर्माण के ऊपर से कोई बिजली की लाईन नहीं जा रही है।

8- यह कि निर्मित/प्रस्तावित निर्माण लोक निर्माण विभाग की रोड/अन्य सार्वजनिक मार्ग/ राष्ट्रीय राजमार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई को छोड़कर है।

9- यह कि शपथकर्तागण के भूखण्ड पर निर्माण वर्ष..... का है जिसके प्रमाणस्वरूप निम्न दस्तावेज संलग्न हैं:

(अ)

11- प्राधिकरण में मेरा वाद संख्या..... दर्ज है/ कोई वाद दर्ज नहीं है।

12- शमन योग्य निर्माण का विवरण

तल

सामने
(व0मी0)

पीछे
(व0मी0)

पार्श्व
(व0मी0)

अन्य
(व0मी0)

प्रथमतः

अनुवर्तीतल

योग-

13- यह कि प्रस्तुत शमन मानचित्र में प्रचलित शमन उपविधि/ भवन उपविधि /महायोजना परिक्षेत्रीय विनियमन एवं पैरा 4 में प्रदर्शित शासनादेशो के अनुरूप है तथा सभी अनाधिकृत निर्माणों का ब्यौरा मानचित्र में सम्मिलित किया गया है तथा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है वास्तुविद/मानचित्रकार द्वारा दिनांक..... को स्थल निरीक्षण करके प्रस्ताव तैयार किया है।

14- बिन्दु संख्या 4,5,7,8,9,11, व 12 के सम्बन्ध में वास्तुविद /इंजीनियर /लाईसन्सियेट/ सुपरवाइरर जिनके द्वारा शमन मानचित्र बनाया गया है जिम्मेदार रहेगे।

15- यह कि उपरोक्त पैरा 1 से 14 की विषयवस्तु शपथकर्तागण की जानकारी में सत्य है। इसमें कोई भी बात छिपायी नहीं है।

शपथकर्तागण के हस्ताक्षर
(नाम व पता)

वास्तुविद/अभियन्ता/ मानचित्रकार का नाम

हस्ताक्षर.....

लाईसन्स संख्या

शपथपत्र

समक्ष- सचिव, दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण देहरादून।

शपथपत्र ओर से श्री/श्रीमती

देहरादून

-शपथकर्ता

मैं उपरोक्त शपथकर्ता/शपथकर्ती निम्न कथन करता/करती हूँ:-

- 1- यह कि शपथकर्ता/शपथकर्ती का उपरोक्त नाम व पता सत्य व सही है।
- 2- यह कि शपथकर्ता/शपथकर्ती मौजा.....परगना परवादून/पछवादून देहरादून के खसरा नम्बर..... क्षेत्रफल.....वर्गमीटर का मालिक/स्वामी है।
- 3- यह कि उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में SADA व किसी भी सम्बन्धित विभाग व न्यायालय में कोई भी वाद विचाराधीन नहीं है यदि पाया जाता है तो शपथकर्ता उसके लिये स्वयं उत्तरदायी होगा तथा ऐसी दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 4- यह कि शपथकर्ता द्वारा ईज आफ डुईंग बिजनेस की शर्तों का पूर्ण से पालन किया जायेगा।
- 5- यह कि प्रस्तुत मानचित्र में दर्शाये गये लाल रंग से हैचिंग वाले भाग को शपथकर्ता मानचित्र स्वीकृति के एक माह के अन्दर स्वयं के हर्जे पर ध्वस्त कर देगा।

शपथकर्ता ह०

मैं उपरोक्त शपथकर्ता आज दिनांक..... को स्थान देहरादून में पुष्टि करता हूँ कि शपथपत्र की चरण संख्या 1 से 5 मेरे निजि ज्ञान में सत्य व सही है।

शपथकर्ता ह०